(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 42 (आर ईः 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 2011

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1), (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र),2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथाउल्लिखित आयात निर्यात प्रपत्र 2ड. (ए एन एफ 2ड.) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र), 2009-14 में मौजूदा ए एन एफ 2ड. को प्रतिस्थापित करेगा ।

2. यह संशोधन 01.04.2011 से लागू होगा । स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए अनुमति हेतु 01.04.2011 के बाद से दायर किए गए सभी आवेदनों को नए ए एन एफ 2 ड. में प्रस्तुत करना होगा ।

3. **<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रयोजन</u>**:- स्कोमेट मदों के लिए निर्यात लाइसेंस हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र, आयात निर्यात प्रपत्र 2ड. (ए एन एफ 2 ड.) है। निर्यातको से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर एक सरलीकृत, तर्क संगत और भरने मे आसान ए एन एफ 2 ड. तैयार किया गया है जिसमें एक संशोधित ''घोषणा/वचनबद्धता'' शामिल हैं । प्रपत्र को सरल तरीके से भरने की दृष्टि से ''आवेदकों हेतु दिशा-निर्देशों'' को भी व्यापक बनाया गया है। नया ए एन एफ 2ड. 01.04.2011 से लागू होगा । स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु 01.04.2011 के बाद से दायर किए गए सभी आवेदनों को नए ए एन एफ 2ड. मे प्रस्तुत करना होगा ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/91/171/37/एएम 10/निर्यात सैल से जारी)

आयात निर्यात प्रपत्र 2ड.

निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध स्कोमैट मदों के निर्यात हेतु आवेदन प्रपत्र

[आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया अंत में दिए गए दिशा निर्देशों को देखें]

1. आवेदक का विवरणः				
i. आईईसी				
ii. नाम				
iii. पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं.			
	गली/क्षेत्र/इलाका			
	नगर			
	राज्य		पिन कोड	
iv. टेलीफोन नं.	(1)	देश का कोड	क्षेत्र कोड	टेली नं.
	(2)			
v. फैक्स नं.		देश का कोड	क्षेत्र कोड	फैक्स नं.
vi. ई-मेल पता जहाँ प्राधिकार पत्र भेजना है		ई-मेल (1)		ई-मेल (2)

2. निर्यात के लिए आवेदित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में स्कोमैट मदों का ब्यौरा : (यदि आवश्यकता हो, इसी प्रपत्र में अतिरिक्त शीट (ए4 आकार) संलग्न करें)

क्रम सं0	स्कोमैट श्रेणी अर्थात 1ख, 1ग, 2, 3,4,5 और 7	स्कोमैट मद सं.	निर्यात मदों का ब्यौरा	आईटीसी (एच एस) कोड नं. (यदि उपलब्ध है)	मात्रा	कुल एफ ओ बी मूल्य		
						सम्बद्ध विदेशी मुद्रा में	रुपयों में	अमेरिकी डॉलर में

3. पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में स्कोमैट मदों के निर्यात का ब्यौरा (अंतिम किए गए निर्यात का ब्यौरा, यदि पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में कोई निर्यात नहीं किया गया): (यदि आवश्यकता हो, इसी प्रपत्र में अतिरिक्त शीट (ए4 आकार) संलग्न करें)						
क्रम सं.	निर्यात लाइसेंस सं. और तारीख और जारी करने वाला क्षेत्रीय प्राधिकारी	निर्यातित मदों का विवरण		निर्यातित मात्रा	देश का नाम जहाँ निर्यात किया गया है	विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) की फाइल सं.
		श्रेणी	विवरण			

4. पोत लदान विवरण :	
i. लदान/पोत लदान का पत्तन	
ii. माल उतारने का पत्तन	
iii. देश जिसे मद का निर्यात किया जाना है	
iv. अंतिम गन्तव्य देश	

5. निर्यात का उद्देश्य (कृपया निशान लगाएँ और स्पष्टीकरण दें, यदि कोई है तो) :	
i. व्यापार	
ii. नमूना	
iii. डिस्पले/प्रदर्शनी	

6क. विदेशी खरीददार का ब्यौरा:					
i. नाम					
ii. पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं.				
	गली/क्षेत्र/इलाका				
	नगर				
	देश		डाक कोड		
iii. टेलीफोन नं.	(1)	देश का कोड	क्षेत्र कोड	टेली नं.	
	(2)				
iv. फैक्स नं.		देश का कोड	क्षेत्र कोड	फैक्स नं.	
v. निर्यात आदेश सं. और तारीख					

6ख. प्रेषिती का ब्यौराः (यदि विदेशी खरीददार के सदृश है तो "6क के समान" लिखें)																			
i. नाम																			
ii. पता	फ्लैट/प्लाट/ ब्लाक सं.																		
	गली/क्षेत्र/इलाका																		
	नगर																		
	देश						डाक कोड												
iii. टेलीफोन नं.	(1)	देश का कोड			क्षेत्र कोड					टेली. नं.									
	(2)																		

देश का कोड	क्षेत्र कोड	फैक्स नं.

6ग. **अंतिम प्रयोक्ता का विवरण :** (यदि विदेशी खरीददार और/अथवा प्रेषिती के सदृश है तो "6क और/अथवा 6ख के समान" जैसा भी मामला हो, लिखें)																	
i. नाम																	
ii. पता	फ्लैट/प्लाट/ ब्लाक सं.																
	गली/क्षेत्र/ इलाका																
	नगर																
	देश						डाक कोड										
iii. टेलीफोन नं.	(1)	देश का कोड			क्षेत्र कोड				टेली. नं.								
	(2)																
iv. फैक्स नं.		देश का कोड			क्षेत्र कोड				फैक्स नं.								
v. अंतिम उत्पाद जिसके लिए निर्यात की मद अंतिम प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग की जाएगी																	
vi. उद्देश्य जिसके लिए अंतिम उत्पाद का प्रयोग किया जाएगा																	
vii. क्या अंतिम प्रयोक्ता गन्तव्य देश की सरकार की इकाई है ?																	
viii. अंतिम प्रयोक्ता की विनिर्माण/ व्यापार/अन्य गतिविधि																	

7. बैंकों के ब्यौरे जिनके द्वारा इस निर्यात से संबंधित वित्तीय लेन देन किया जाएगा :													
क. गन्तव्य देश में													
i. बैंक का नाम													
ii. बैंक का पता	फ्लैट/प्लाट/ ब्लाक नं.												
	गली/क्षेत्र/ इलाका												
	नगर												
	देश					डाक कोड							
iii. स्वीफ्ट कोड:													
iv. आईबीएएन													
ख. भारत में													
i. बैंक का नाम													
ii. बैंक का पता	फ्लैट/प्लाट/ ब्लाक नं.												
	गली/क्षेत्र/ इलाका												
	नगर												
	राज्य					पिन कोड							
iii. आईएफएससी कोड													

8. **यदि उसी लाइसेंसिंग वर्ष में उसी उत्पाद, उसी अन्तिम उपयोग और उसी अंतिम प्रयोक्ता के लिए आवृति आधार पर निर्यात के लिए आवेदन किया है तो कृपया प्रस्तुत करें :**

i. संदर्भ संख्या और दिनांक जिसके अंतर्गत पहले अनुमति प्रदान की गई थी	
ii. निर्यात लाइसेंस सं0 और दिनांक	
iii. निर्यात के लिए अनुमत मात्रा	
iv. इस आवेदन की तिथि तक निर्यात किए गए माल की मात्रा	

9. निर्यात की जाने वाली मद के उत्पादक/विनिर्माता का विवरण :									
i. नाम									
ii. पता	फ्लैट/प्लाट/ ब्लाक सं.								
	गली/क्षेत्र/ इलाका								
	नगर								
	राज्य		पिन कोड						

10. अवधि जिसके दौरान मद का भारत से निर्यात किया जाना प्रस्तावित है :

केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में प्रयोग हेतु (आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए)	
11क. आवेदन सौंपने का विवरण (यदि इलैक्ट्रानिक रूप से सौंपा गया है।)	
i. ईसीओएम संदर्भ संख्या	
ii. सर्वर पर सौंपे जाने की तिथि	
iii. जिस क्षेत्रीय प्राधिकारी को सौंपा गया है	
iv. फाईल संख्या और जारी करने की तिथि	
11ख. आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारी	

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं / हम एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि :-

(i) फर्म/कम्पनी को सीमा शुल्क अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, 2010 में यथा संशोधित और फेरा/फेमा के अधीन दण्डित नहीं किया गया है ।

(ii) फर्म/कम्पनी का कोई भी स्वामी/साझीदार/ निदेशक /कर्ता/न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी/साझीदार/निदेशक/कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशालय की प्रतिकूल जानकारी में हैं तथा किसी ऐसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी/ साझीदार/निदेशक/ कर्ता/न्यासी के रूप में सम्बद्ध नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी सूची में है।

(iii) न तो फर्म/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय और न हीं उसकी किसी शाखा कार्यालय/यूनिट/डिवीजन को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

(iv) हमने स्कोमैट मदों के निर्यात के लिए हमे जारी सभी पहले के लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों की शर्तों का पालन किया है और जहाँ कहीं अपेक्षित है विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय नई दिल्ली को अंतिम प्रयोक्ता के द्वारा निर्यात की मदों की रसीद के संबंध में निर्धारित समय में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ बाकायदा सूचित कर दिया है।

2. मैं/हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992, 2010 में यथा संशोधित, इसके अधीन बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड 1 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 2 और आई टी सी (एच एस) के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं और विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय (निर्यात स्कोमैट प्रभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली को सभी अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करवाने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं। जिसके पूरा न हो पाने की स्थिति में मेरे/हमारे विरूद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, 2010 में यथा संशोधित अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत एवं सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

3. मैं / हम पूर्णतया समझता हूँ/ समझते हैं कि आवेदन में दी गइ कोई भी जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो ।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैं नीति के पैरा 9.9 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ ।

आवदेक के हस्ताक्षर				
नाम				
पदनाम				
कार्यालय का पता	फ्लैट/प्लाट/ब्लाक सं.			
	गली/क्षेत्र/इलाका			
	नगर			
	राज्य		पिन कोड	
टेलीफोन	देश का कोड	क्षेत्र कोड	टेली. नं.	
स्थानः				
तारीखः				

आवेदकों हेतु दिशा निर्देश

(कृपया प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैराग्राफ 2.49 भी देखें)

1. आई ई सी, डीईएल में नहीं होना चाहिए।

2. निर्धारित प्रपत्र ए एन एफ 2(ड.) और ए एन एफ 1 में आवेदन की एक मूल प्रति और उसकी छः प्रतियाँ निम्नलिखित पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ, डी जी एफ टी (मुख्यालय), उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाएं। मूल आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक के द्वारा कम्पनी के द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए।

3. आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिएः-

   (i) ए.एन.एफ. 2ड. के कॉलम-2 में उल्लिखित मदों के संबंध में विदेशी क्रेता, प्रेषिती और अन्तिम प्रयोक्ता से **क्रय आदेश।**

   (ii) **अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र** (नीचे पैरा 4 को भी देखें)।

   (iii) निर्यात की जाने वाली मदों हेतु **तकनीकी विनिर्देशन** (प्रत्येक मद के लिये एक पृष्ठ से अधिक नहीं)।

   (iv) (क) आवेदन के कॉलम संख्या 3 में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान निर्यातित मदों के गंतव्य देश में **प्रविष्टि बिल** । पिछले 3 वर्षों हेतु निर्यातों के ब्यौरे कॉलम सं0 3 में दिए जाने चाहिए। तथापि, सिर्फ पिछले 1 वर्ष हेतु प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करना होगा।

   (ख) प्रविष्टि बिल सिर्फ वित्तीय वर्ष के प्रथम आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा । दूसरे आवेदन से, निर्यातक को अपने अग्रेषण पत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय फाइल संख्या का उल्लेख करते हुए यह संदर्भ देना होगा कि प्रविष्टि बिल पहले आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं । प्रत्येक परवर्ती आवेदन के साथ पहले आवेदन के अग्रेषण पत्र की प्रति भी लगानी होगी ।

(v) यदि कोई तीसरा पक्ष अथवा ठेकेदार शामिल है तो संविदा अथवा समझौते की प्रति के साथ, तीसरे पक्ष के साथ विदेशी क्रेता और अन्तिम प्रयोक्ता के संविदा अथवा समझौते का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा ।

4. **<u>अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र :</u>** निर्यात उत्पाद, अंतिम उत्पाद, अंतिम प्रयोजन जिसके लिए निर्यात की मद अंतिम प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग की जाएगी को दर्शाते हुए और अंतिम प्रयोक्ता के पूरे पते और टेलीफोन नं. के साथ मूल अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (अंतिम प्रयोक्ता के पत्र शीर्ष पर परिशिष्ट 36 में निर्धारित प्रपत्र में) मूल आवेदन के साथ सौंपना चाहिए। अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र निम्नलिखित से भी प्रस्तुत किया जाना चाहिएः

(i) विदेशी क्रेता द्वारा यदि वह अन्तिम प्रयोक्ता से अलग है ।

(ii) प्रेषिती द्वारा, यदि वह विदेशी क्रेता और अन्तिम प्रयोक्ता से अलग है ।

(iii) किसी अन्य मध्यवर्ती के द्वारा यदि कोई है।

(iv) विदेशी क्रेता, प्रेषिती और अन्तिम प्रयोक्ता से अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र में मदों का तर्कसंगत प्रवाह दिखाई दे।

(v) प्रत्येक अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र में, क्रय आदेशों में और ए.एन.एफ. 2ड. के कॉलम 2 की सूची में दी गई सभी मदों का उल्लेख होना चाहिए ।

(vi) अलग-अलग भागों व हिस्सों में सौंपे गए अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। प्रत्येक उपभोक्ता अर्थात् विदेशी क्रेता, प्रेषिती और अंतिम प्रयोक्ता से केवल 1 (एक) मूल अंतिम प्रयोग सह-अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र दाखिल करना है ।

5. एएनएफ 2ड., अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र और खरीद आदेश में दिए गए विवरण पूर्णतया समान होने चाहिए।

6. एएनएफ 2ड. को भरते समय, निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिएः-

(i) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण के परिशिष्ट 3 के अनुसार निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित मदों की श्रेणी को सुस्पष्ट रुप से वर्णित किया जाना चाहिए ।

(ii) निष्पादन का पत्तन और मार्ग को सुस्पष्ट रुप से बताया जाना चाहिए । परिवहन का मार्ग/ तरीका निर्यात लाइसेंस जारी करने के बाद बदला नहीं जा सकता ।

(iii) कॉलम 6क, 6ख और 6ग में पूरा पता दिया जाना चाहिए । पी ओ बाक्स नं0 स्वीकार्य नहीं होगा ।

(iv) सभी कॉलम सही और पूरी तरह भरे जाने चाहिए ।